न्यायालय में , श्रीमान् सदस्य महोदय ,राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

25

III/निगरानी/शहडोल/भू-रा/2017/2452

मनीराम पिता गनेशा बसोर उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पोंडीकला थाना ब्यौहारी तहसील जयसिहंनगर जिला शहडोल (म.प्र.) — — — आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. गोविंद पिता सेम्मा बसोर उम्र लगभग 55 वर्ष ,
2. कालीदीन पिता जमुना बसोर उम्र लगभग 35 वर्ष ,
3. गुलाब पिता जमुना बसोर उम्र लगभग 30 वर्ष ,सभी निवासी ग्राम पोंडीकला थाना ब्यौहारी तहसील जयसिहंनगर जिला शहडोल (म.प्र.) — — —अनावेदक / उत्तरवादीगण

श्री सुनील सिंह ... द्वारा आज दि. 1-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरूद्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील जयसिहनगर जिला शहडोल म.प्र. के राजस्व प्रकरण क./ 82 /अ–70 /2016–17 आदेश दिनांक – 20.07.2017

पुनरीक्षण आवेदन – पत्र अंतर्गत धारा – 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर ,

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता निम्न निवेदन करता है :–

1. यह कि मौजा ग्राम पोडीकला ज.नं. 393 प.ह.पोडीकला नं.04 रा0नि0मं0 टिहकी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म.प्र. में स्थित आराजी खसरा नं. 1298/2/क/1 रकवा 0.010 हे0 आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व अधिपत्य की भूमि है ।
2. यह कि उपरोक्त पैरा क्र.01 में वर्णित आराजी के जुज भाग 21 X 08 वर्ग फुट पर अनावेदक क्रमांक 01 और 21 X 08 वर्ग फुट पर अनावेदक क्र.02 तथा 21 X 08 वर्ग फुट भाग पर अनावेदक क्र.03 द्वारा मकान निर्माण के उद्देश्य से दिनांक 25.05.2017 को सुबह 08 बजे अनाधिकृत प्रवेश कर पिलर के गड्ढो की खनाई करते हुए आवेदक को बेदखल कर दिया गया है ।

मनीराम

क्रमश : पेज –2 पर

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / शहडोल / भू.रा / 2017 / 2452

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 82 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.07.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.7.17 को दो सर्किल के राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया है उसी के आधार पर आवेदक को दिया गया स्थगन निरस्त किया गया है। उसके पशचात प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। तहसीलदार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल के आदेश दिनांक 20.7.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।	

3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 82 / अ–70 / 2016–17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 20.07.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति सहित अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय होतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य